



नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रस्तावक द्वारा दिये जाने वाला
शपथ-पत्र

मैं श्री. अशोक कुमार पिता/प्रति श्री. रामेश्वर
उम्र 59 वर्ष वर्ष, *नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 34 मोहल्ला श्री. रामेश्वर पोस्ट मुजफ्फरपुर याना मुजफ्फरपुर
जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-
कि मैं *नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 34 से *पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के नाम निर्देशन पत्र दखिल करने
वाले अभ्यर्थी श्री. अशोक कुमार का प्रस्तावक हूँ,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका
निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,
2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड 34 से *पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के
लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लॉबित नहीं है। श्री. अशोक कुमार
या

मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत हैं: श्री. अशोक कुमार

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लॉबित है- श्री. अशोक कुमार
2. वाद संख्या- श्री. अशोक कुमार
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ- श्री. अशोक कुमार

स्थान- मुजफ्फरपुर
दिनांक- 24-09-2022
The Deponent identifies
Advocate as श्री. अशोक कुमार
before me
श्री. अशोक कुमार
प्रस्तावक का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट डालें।
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोडरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।
श्री. अशोक कुमार
23-9-22
6162790